

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, नावाडीह (बोकारो)।

अनुसूची 14 - फारम सं० 562



आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....से.....तक


जिला- बोकारो याद संख्या.....41./2022-23

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	<p>प्रबंधक B.O.I नोस्टा शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार..... दिनांक 03/08/22 को अंचल कार्यालय, नावाडीह, बोकारो जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 30846/- की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रूपये..... कुल..... रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक मॉग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें। देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करावें। अभिलेख दिनांक 03/08/22 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नावाडीह। </p> <p>03/08/22</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त देनदार अनुपरिथत। अभिलेख दिनांक 10/08/23 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नावाडीह। </p>	

10/02/23

अभिलेख उपस्थापित किया गया। दिनदरा
के द्वारा बैंक लि चक्राया राशि का
NOC कार्यालय में समाप्त किया। बैंक से कर्ज करें।
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त 16/02/2023
की जाती है, को उपस्थापित करें।


10/2/2023
अचल अधिकारी
नावाही

16/02/2023

अभिलेख उपस्थापित।


बैंक से कम्पेंशन प्राप्त नहीं हुआ।
अभिलेख दिनांक 21/02/2023 को उपस्थापित करें।

21/02/23

अभिलेख उपस्थापित

उपे 316

बैंक से कम्पेंशन प्राप्त हो गया है।
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।


उपे 316


न्यायालय निलाम-पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नावाडीह (बोकारो)।
नोटिस

प्रेषित,

कीर्ति देवी, पति - धानेश्वर कुंएल
ग्राम - वापडीह, जामना - नावाडीह

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में संधारित अभिलेख में निलाम पत्र वाद संख्या 41/22-23 में आपके विरुद्ध 30846/- राशि बकाया है।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 31/8/22 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होकर सुनवाई में अपना पक्ष रखें। ध्यान दें कि आपके अनुपस्थित रहने की स्थिति में वाद का निर्णय एक पक्षीय (Ex-Party) रूप में किया जायेगा।


अंचल अधिकारी,
नावाडीह।

न्यायालय निलाम-पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, नावाडीह (बोकारो)।